

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: एफ 01-21/2019/विज्ञाप/794

रायपुर, दिनांक : 08/05/2020

प्रकाशन की तारीख 08 / 05 / 2020

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 11.05.2020
से 31.05.2020 रात्रि 11.59 बजे तक।

छत्तीसगढ़ शासन, "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के 208 रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु यह विज्ञापन "छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़) में तदर्थ/संविदा रूप से पदस्थ चिकित्सक भी रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सा अधिकारी इस विज्ञापन हेतु पात्र नहीं होंगे। विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर रिक्त पदों का वर्गवार विवरण नीचे तालिका में दर्शाते हैं :-

पद का नाम	कुल रिक्तियों की संख्या					कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद					कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजन (OA, OL) के लिए वर्गवार आरक्षित पद					योग
	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग	
चिकित्सा अधिकारी	87	25	67	29	208	26	7	20	9	62	6	2	5	2	15	208

Note- Abbreviation used - OA=One Arm, OL=One Leg

सामान्य नियम एवं शर्तें :-

1. पद का विवरण :-

- पद का नाम :- चिकित्सा अधिकारी
 सेवा श्रेणी :- द्वितीय श्रेणी - छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें)
 वेतनमान :- 56100 (लेवल 12) 7वें वेतनमान अनुसार (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड वेतन-5400/-) एवं समय-समय पर राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते।

2. शैक्षणिक अर्हताएं :-

- 2.1 एम.बी.बी.एस. उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी)।
- 2.2 छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन/अन्य राज्यों में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में राज्य में 2 माह के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 2.3 ऐसे उम्मीदवार जो एम.बी.बी.एस. के साथ पी.जी. डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

- 2.4 अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं अन्य अर्हताओं के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।

3. आवेदन भरने की तिथि एवं प्रक्रिया :-

- 3.1 ऑन-लाईन आवेदन दिनांक 11.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 को रात्रि 11.59 बजे तक विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in के माध्यम से भरे जा सकेंगे।
- 3.2 विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 3.3 चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु ऑन-लाईन आवेदन व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश विभाग के वेबसाईट www.cghealth.nic.in में देखी व डाउनलोड की जा सकती है।
- 3.4 उक्त भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देश/आदेश/सूचना एवं अन्य जानकारियों के आधार पर आवेदनों की संविधा कर पात्र आवेदकों की सूची विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर जारी किया जावेगा।

4. आयु सीमा :- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2020 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे। किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आरक्षण :-


- 5.1 उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेंगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। किन्तु विज्ञापन में जारी कुल रिक्त पदों की संख्या अपरिवर्तनीय होगा।
- 5.2 सेवा में भर्ती के समय "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के प्रावधान तथा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों (जैसे-महिला/दिव्यांग/अन्य) के आरक्षण हेतु समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे।
- 5.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी ही निःशक्तजन के आरक्षण हेतु मान्य होंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी को अनारक्षित श्रेणी का माना जायेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से कराया जा सकता है।
- 5.4 आरक्षित वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- 5.5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण-पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- 5.6 महिला अभ्यर्थियों/निःशक्त व्यक्तियों के लिए पद, शासन द्वारा समय-समय पर बनाए गए अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखे जाएंगे।
6. "छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे। सेवा में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा।
7. चयन हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया:- शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेगा। मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों से प्राप्त योग के आधार पर तैयार की जावेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
- 7.1 शैक्षणिक योग्यता :-**
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि) के प्राप्तांको की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 75 अंक प्रावधानित है।
 - अन्य देशों से वांछित शैक्षणिक योग्यताधारक अभ्यर्थियों के अंकों की गणना भारतीय चिकित्सा परिषद्/राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फारेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्जामिनेशन/स्क्रीनिंग टेस्ट से प्राप्त अंकों को उपरोक्त गणना हेतु आधार माना जावेगा।
 - अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता मेडिसिन/सर्जरी/स्त्रीरोग/शिशुरोग/ एनेस्थिसिया/ ऑपथेल्मोलॉजी/रेडियोलॉजिस्ट/पैथालॉजिस्ट/नाक, कान, गला रोग/अस्थि रोग/मनोरोग/चर्मरोग/क्षयरोग विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु 05 अंक एवं स्नातकोत्तर डिग्री हेतु 10 अंक प्रावधानित है। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हेतु अधिकतम 10 अंक प्रावधानित है।
- 7.2 कार्यानुभव :-**
- छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सालयों/संस्थाओं में अनुभव के आधार पर मात्र राज्य में अनुसूचित विकासखण्डों (शासन आदेश क्रमांक एफ 4-1/2014/1-3 नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015 एवं उसमें समय-समय पर जारी संशोधन अनुसार) में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को एक वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है।
(Annexure-I)
 - अनुभव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित विकासखण्डों में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को एक वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जावेगा तथा सत्यापन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी किया जावेगा।
(Annexure-I)
- 7.3 अंतिम मेरिट सूची :-** अंतिम सूची उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस./एन.बी.ई.) में प्राप्त कुल अंकों + कार्यानुभव अंक + अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों के योग से मेरिट के आधार पर तैयार की जावेगी।

8. ऑन-लाईन आवेदन करने के संबंध में निर्देश/जानकारी :-

- 9.1 उपरोक्त पदों पर आवेदन ऑन-लाईन पोर्टल (www.cghealth.nic.in) के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें समस्त प्रविष्टि आवेदक द्वारा स्वयं या किसी की सहायता से आवेदन कर सकता है।
 - 9.2 ऑन-लाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा-निर्देश एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट (www.cghealth.nic.in) में उपलब्ध है।
 - 9.3 ऑन-लाईन आवेदन करने हेतु जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हताएं (अंक सूचियां), अनुभव प्रमाण पत्र, ज्योति, निवास, पंजीयन, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (तदर्थ/संविदा हेतु) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जो कि ऑन-लाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय चाही गई है। उन समस्त दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित कर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - 9.4 आवेदक को स्वयं के पासपोर्ट साइज का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करने के पश्चात् अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रत्येक की साइज 50 KB से अधिक न हो, फोटो तथा हस्ताक्षर का फारमेट JPG में ही होना चाहिए।
 - 9.5 आवेदक, आवेदन बड़ी ही सावधानीपूर्वक सभी प्रविष्टियां सही-सही भरे एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। गलत जानकारी देने पर आवेदन अमान्य किये जा सकते हैं, जिसके लिए आवेदक स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
 - 9.6 आवेदन पूर्ण करने के पश्चात् जब आवेदन को सुरक्षित (Save) करना होगा जिससे कि पृथक पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक ही आवेदक का यूजर नेम होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी नोट कर सुरक्षित रखेंगे।
 - 9.7 आवेदक ध्यान रखे की अपने पंजीयन क्रमांक तथा पासवर्ड किसी अन्य को पता न चले।
 - 9.8 उपरोक्त आवेदन में समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज में दिये अनुसार ही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जांच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी (चयन के पूर्व/पश्चात्) त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय विभाग का होगा।
 - 9.9 वेबसाइट पर उपलब्ध ऑन-लाईन आवेदन प्रपत्र अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जावेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम से ऑफ-लाईन प्रस्तुत किए गये आवेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे एवं इस प्रकार प्रस्तुत आवेदनों के निरस्तीकरण की कोई सूचना पृथक से नहीं दी जावेंगी।
 - 9.10 आवेदन संबंधी एवं अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट (www.cghealth.nic.in) पर उपलब्ध है।
9. आवेदक, आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन ऑन लाईन भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
 10. आवेदन में उल्लेखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियां अपलोड करना तथा काउंसिलिंग में सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां मय सत्यापित (स्व-सत्यापित दो प्रति में) लाना अनिवार्य होगा।
 11. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम्यक अर्हता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप में अनुशंसा/अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कार्यानुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे। (Annexure-II)
13. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :- छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडलों राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोक्ता का ही मान्य किया जावेगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सा अधिकारी इस विज्ञापन हेतु पात्र नहीं होंगे।
14. प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अपलोड होने वाले आवेदन पत्रों एवं चयन प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर दी जावेगी। पृथक से आवेदक को सूचना नहीं दी जावेगी। समय-समय पर आवेदक उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
15. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन-पत्र में दिये सभी स्थानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण-पत्र देने या आवेदन-पत्र में जाति संबंधी गलत कोड नंबर भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा।


संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

(Annexure-I)

छत्तिसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-1/2014/1-3/एक नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015 के द्वारा अधिसूचित दुर्गम/सामान्य अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र

क्रमांक	जिला	जिला/विकासखण्ड
1	सुकमा	सम्पूर्ण जिला
2	दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला
3	नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला
4	बीजापुर	सम्पूर्ण जिला
5	कांकेर	कोयलीबेड़ा, दुर्गकोंदल, अंतागढ़ विकासखण्ड

सामान्य अनुसूचित क्षेत्र

क्रमांक	जिला	जिला/विकासखण्ड
1	बस्तर	सम्पूर्ण जिला
2	कोण्डागांव	सम्पूर्ण जिला
3	सरगुजा	सम्पूर्ण जिला
4	कोरिया	सम्पूर्ण जिला
5	बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला
6	सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला
7	जशपुर	सम्पूर्ण जिला
8	कोरवा	सम्पूर्ण जिला
9	धमतरी	नगरी विकासखण्ड
10	बालोद	डौंडी विकासखण्ड
11	कांकेर	कांकेर, चरामा, नरहपुर, भानुप्रतापपुर विकासखण्ड
12	गरियाबंद	गरियाबंद, छुरा, एवं मैनपुर विकासखण्ड
13	राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर विकासखण्ड
14	रायगढ़	खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ तमनार एवं लैलूंगा विकासखण्ड

(Annexure-II)

सेवा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ.....पिता/पति.....
.....पदस्थापना स्थान.....में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक
..... से तक कार्यरत है/था। इनकी शासकीय सेवा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदांकन स्थान	जिला	दुर्गम/ सामान्य अधिसूचित क्षेत्र है	सेवा अवधि					नियुक्ति का प्रकार (नियमित/तदर्थ /संविदा/अन्य)	नियुक्ति का आदेश क्र. एवं दिनांक	रिमार्क
				दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह	दिन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
3											

अनुशंसा सहित अग्रेषित

प्रति,

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

कार्यालय का नाम:

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी)